मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

1, तिलक मार्ग, लखनऊ–226001
फोन नम्बर–0522–2207997 / फैक्स न.0522–2206120
ईमेल- www.igkarmik-up@nic.in

पत्र संख्याः डीजी–1–आरसी–विविध / 2013 दिनांकः लखनऊः अप्रैल 24 , 2014

सेवा में,

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र, दिनांकः 24.01.2014 के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्याः 111 / 1 / 1 / 80–सी0एक्स0–7–टी0सी0– । । ।, दिनांकः 10.04.2014 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया संलग्न अधिसूचना की प्रति अपने अधीनस्थ सर्वसम्बन्धित को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(तनुजा श्रीवास्तवा)
पुलिस महानिरीक्षक(कार्मिक)
उत्तर प्रदेश ।

(5)

उत्तर प्रदेश शासन
गोपन अनुभाग–7
संख्याः 111/1/1/80–सी0एक्स0–7–टी0सी0–III
लखनऊःदिनांकः 10 अप्रैल, 2014

अधिसूचना

चूँकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों में हिंसा की घटनायें हुयी हैं, और उनकी प्रतिक्रिया स्वरुप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुयी हैं, और राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें होने की सम्भावना है,

और, चूँकि समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा ,लोक व्यवस्था और समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने के प्रतिकूल किया–कलापों में भाग ले रहें हैं,

और, चूँकि उत्तर प्रदेश में विद्यमान और संभावित उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव,अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या–65 सन् 1980) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और समय–समय पर यथा उपान्तरित और अन्ततः सरकारी अधिसूचना संख्या–111/1/1/80–सी0एक्स0–7 टी0सी0–III, दिनांक 10 जनवरी,2014 द्वारा उपान्तरित सरकारी अधिसूचना संख्या 111/1/1/80–सी0एक्स0–6, दिनांकः 25 सितम्बर, 1980 में दिये गये आदेशों का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल, राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक 17 अप्रैल 2014 से तीन मास की अग्रेतर अवधि के लिए उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त करते हैं।

आज्ञा से,

कमल सक्सेना
गृह सचिव।

49:19
See
पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक)
उत्तर प्रदेश 12/4
AC VII
13/4/14

संख्या--111/1/1/80--सी0एक्स0--7--टी0सी0--III तद्दिनांक

1--प्रतिलिपि अंग्रेजी रुपान्तर सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपयाः--

(अ) इस अधिसूचना का आज दिनांक 10 अप्रैल, 2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग--4 खण्ड--(ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

(ब) इस विज्ञप्ति की 100 प्रतियॉ शासन के गोपन अनुभाग--7 को एवं नीचे लिखे प्रस्तर--2 में उल्लिखित प्रत्येक अधिकारी को, केवल दो--दो प्रतियॉ भी भेज दें।

2-- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) सचिव ,भारत सरकार,गृह मंत्रालय,नई दिल्ली।
(2) सचिव ,भारत सरकार, विधि मंत्रालय,नई दिल्ली।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक,कार्मिक,उत्तर प्रदेश।
(5) पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग,विशेष शाखा,उत्तर प्रदेश।
(6) पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था , उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
(8) शासकीय अधिवक्ता,मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ बेंच,लखनऊ।
(9) रजिस्ट्रार,उ0प्र0 सलाहकार बोर्ड, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ परिसर,लखनऊ।
(10) गोपन अनुभाग--5 एवं 6

आज्ञा से,

(पी0एन0सिंह)
अनु सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN

GOPAN ANUBHAG-7

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 111/1/1/80-CX-7-TC-III, dated APRIL 10, 2014

Notification

No. 111/1/1/80-CX-7-T.C.-III

Lucknow: Dated: 10 APRIL , 2014

WHEREAS, in the past, there have been incidents of violence in certain districts of Uttar Pradesh and as a reaction thereto similar incidents have occurred in other parts of the State and are likely to occur in other parts of the State also;

AND, WHEREAS , anti-social elements are indulging in activities prejudicial to the security of the State, maintenance of public order and maintenance of supplies and services essential to the cummunity;

AND, WHEREAS, in view of the aforesaid circumstances prevailing and likely to prevail in Uttar Pradesh, the State Government is satisfied that it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 3 of the National Security Act, 1980(Act No. 65 of 1980) read with section 21 of the General Clauses Act,1897(Act No. X of 1897) and in partial modification of the orders contained in Government Notification No. 111/1/1/80-CX-6, dated September 25,1980 as modified from time to time and lastly modified by Government Notification No. 111/1/1/80-CX-7- T.C.-III dated; 10 JANUARY,2014 the Governor is pleased to empower all the District Magistrates of the State to exercise the powers, conferred by sub section (2) of the said section 3 for a further period of three months,with effect from 17 APRIL , 2014

BY ORDER,

10.4.2014

(KAMAL SAKSENA)
HOME SECRETARY